

अज अदालत-न्यायालय जिला कलक्टर-मुकाम-भरतपुर  
 डॉ० राकेश कुमार शर्मा बनाम विकास अधिकारी बयाना  
 किरम मुकदमा अपील RTI नम्बर 33.. सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
25.06.2023	<p>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट डॉ० राकेश कुमार शर्मा निवासी म.नं. 38-39 दिव्या पब्लिक स्कूल के पास, सरस्वती नगर कायड रोड घूघरा अजमेर की सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील लोक सूचना अधिकारी विकास अधिकारी बयाना के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>अपील का अवलोकन किया गया। अपील के अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी, विकास अधिकारी बयाना द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को आर.टी.आई. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सूचना नहीं दिये जाने के कारण यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।</p> <p>चूंकि आर.टी.आई. के तहत विकास अधिकारी बयाना के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रधान, पंचायत समिति बयाना का है। अतः प्राप्त मूल अपील प्रार्थी को वापिस/लौटाई जाकर सूचित किया जावे कि वे नियमानुसार अपील प्रधान, पंचायत समिति बयाना के यहाँ प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।</p>	<p>458                  08/07/24                  मूल अपील                  वापस की</p>

  
**जिला कलक्टर**  
**भरतपुर**